



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)


क्रमांक एफ 2(58)परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2012/संस्था/2015/3136 जयपुर दिनांक:- 28.12.17

—:आदेश:—

श्रीमती कल्पना शर्मा, RRDS, हाल विकास अधिकारी पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ का चयन राजस्थान सरकार परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1 (39) परि/स्था/2000/43044-56 दिनांक 8.9.2017 द्वारा जिला परिवहन अधिकारी के पद पर हो जाने के क्रम में श्रीमती शर्मा द्वारा राजस्थान परिवहन विभाग में कार्यग्रहण हेतु विभाग से कार्यमुक्त करने का निवेदन किया गया है।


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार परिवीक्षाकाल के दौरान श्रीमती शर्मा की सेवाएँ संतोषजनक रही हैं एवं इनके द्वारा कोई अवकाश नहीं लिया गया है।

अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती कल्पना शर्मा की सेवाएँ नियमित करते हुए राजस्थान परिवहन सेवा में चयन उपरान्त राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत नियम 15 के तहत पदाधिकार (Lien) राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा में सुरक्षित रखते हुए राजस्थान परिवहन सेवा में स्थायीकरण होने की सूचना विभाग को प्रस्तुत करने की शर्त के साथ राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा से कार्यमुक्त किया जाता है।


(राजेन्द्र शंखर मक्कड़)
अति. आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) परिवहन विभाग को उनके आदेश क्रमांक एफ 1 (39) परि/स्था./2000/43043 दिनांक 8.9.2017 के क्रम में सूचनार्थ।
9. संभागीय आयुक्त उदयपुर।
10. जिला कलेक्टर चित्तौडगढ।
11. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौडगढ।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति कपासन जिला चित्तौडगढ।
13. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
14. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
15. आदेश पत्रावली।


अति. आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.2)